GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2011/TG-I/10/ATVMs/Facilitators **New Delhi, dated 17.03.2015**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 16 OF 2015)

Sub: Appointment of facilitators for issuing of unreserved tickets through ATVMS.

****

Please refer to this office letter of even number dated 03.04.2014 (CC No. 15 of 2014) on the subject quoted above wherein instructions were issued for extension of scheme of facilitators upto 31.03.2015, subject to the following conditions:-

(i) Concerted efforts should be made by Zonal Railways to proliferate ATVMs and to educate passengers about the features of ATVMs.

(ii) Videos showing the demo of passengers using ATVMs should also be shown on the CCTVs installed on the platform so as to educate the passengers on this aspect.

(iii) No serving employees should be allowed to act as facilitator and services of any such facilitator should be discontinued with immediate effect.

(iv) CRIS will take necessary steps to examine the feasibility of making ATVMs more user- friendly so as to encourage the passengers to buy the tickets by themselves.

2. The issue regarding extension of the scheme of facilitators has been examined in consultation with Finance Directorate of Ministry of Railways and it has been decided to continue with the scheme of facilitators up to 31.03.2016 subject to conditions indicated above.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Sanjay Manocha)
Dy. Director Commercial (G)-II
Railway Board

No. 2011/TG-I/10/ATVMs/Facilitators New Delhi, dated 17.03.2015

Copy to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

M.K. Dubey

For Financial Commissioner/Railways

Dell/B/my documents/LETTER/letter_2015

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

*****

Dell/B/my documents/LETTER/letter_2015

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/टीजी-I/10/एटीवीएम/फैसिलिटेटर्स **नई दिल्ली, दिनांक 17.03.2015**

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 16)

विषय: एटीवीएमएस के माध्यम से अनारक्षित टिकटें जारी करने के लिए फैसिलिटेटरों की नियुक्ति।

*****

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 03.04.2014 के समसंख्यक पत्र (2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 15) का अवलोकन करें जिसमें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन फैसिलिटेटरों की योजना 31.03.2015 तक बढाने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे:-

(i) एटीवीएमएस को अधिक मात्रा में लगाने और एटीवीएमएस की विशेषताओं के बारे में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रयास किए जाएं।

(ii) प्लेटफॉर्मों पर लगाए गए सीसीटीवी पर यात्रियों द्वारा एटीवीएम का प्रयोग करने के डेमो का विडियो भी दिखाया जाए ताकि यात्रियों को इस पहलु के बारे में शिक्षित किया जा सके।

(iii) किसी भी सेवारत कर्मचारी को फैसिलिटेटर के रूप में काम करने की अनुमति न दी जाए और ऐसे किसी फैसिलिटेटर की सेवा तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जाए।

(iv) क्रिस द्वारा एटीवीएम को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि यात्री स्वयं टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों।

2. रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से फैसिलिटेटरों की योजना की अवधि बढ़ाने से संबंधित मामले की जांच की गई है और फैसिलिटेटरों की योजना को उपर्युक्त शर्तों के अध्यधीन 31.03.2016 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(संजय मनोचा)
उप निदेशक वाणिज्य (जी)-II
रेलवे बोर्ड

सं. 2011/टीजी-I/10/एटीवीएम/फैसिलिटेटर्स नई दिल्ली, दिनांक 17.03.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

मनोज दुबे

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

--2/--

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ सी, निदेशक एफ (सी), वि. का. अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरनगर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7) निदेशक, इडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71